"हर काम देश के नाम"

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Office of the Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

दूरभाष: 011-25665742 फैक्स : 011-25674806, 25674821 ई-मेल: hindicell.cgda@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

(राजभाषा अनुभाग)

विषय : कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

इस मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही की बैठक 29 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे श्री सुगाता घोष दस्तिदार, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा महानियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1	श्रीमती अलका शर्मा	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
2	श्री जैड.वी.एस. प्रसाद	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
3	श्री राकेश कुमार	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
4	श्री अनुग्रह नारायण दास	प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार
5	श्री विपिन कुमार गुप्ता	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
6	श्री रोजी अग्रवाल	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
7	श्रीमती रीना टंडन	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
8	श्री हिमांशु शंकर	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
9	श्रीमती मौलश्री पांडे	र.ले.नि.(सेना), दिल्ली छावनी
10	श्री राजेश चन्द्रा	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
11	श्रीमती मुग्धा कौर जग्गी	रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक
12	श्री सुशील रियाड़	रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक/ सदस्य सचिव
13	श्री पंकज कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
14	श्री प्रदीप कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
15	श्री मनमोहन सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
16	श्री देवेन्द्र मोहन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
17	श्री मोहम्मद शाहीन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
18	श्रीमती काकोली दत्ता	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
19	श्री रवि कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
20	श्री अरविन्द	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागतोपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

मद सं. 1 : <u>दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:</u>

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित सदस्यों/अनुभागों को जारी कर दिया गया था। कार्यवृत्त के संबंध में किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त न होने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

मद सं. 2 : <u>पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई</u>:

(i) पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि कार्यालय के अप्रशिक्षित आशुलिपिकों को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के संकाय द्वारा इस मुख्यालय में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली से पत्राचार किया जाए।

तदनुसार, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली से पत्राचार किया गया, जिसके उत्तर में संस्थान ने सूचित किया कि आशुलिपिकों का प्रशिक्षण (गहन या दीर्घकालिक) प्रशिक्षण केंद्र से ही कराया जाए।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया गया कि मुख्यालय में तैनात 31 आशुलिपिकों में से 12 आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त है और फरवरी, 2024 से शुरू होने वाले अगले सत्र के लिए 02 आशुलिपिकों को नामित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि अगले सत्र के लिए नामित आशुलिपिकों की संख्या बढ़ाई जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-IV एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली से संवाद स्थापित करके सभी अप्रशिक्षित लिपिकों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलाने हेतु स्लॉट की मांग की जाए।

तदनुसार, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली से संपर्क किया गया, परन्तु संस्थान ने सूचित किया कि सभी अप्रशिक्षित लिपिकों को एक साथ नामित करना संभव नहीं है।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मुख्यालय में तैनात 05 और लिपिकों को इस तिमाही में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है और 02 लिपिक पहले से ही प्रशिक्षणाधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में प्रशिक्षण के लिए शेष 08 लिपिकों को क्रमवार नामित किया जाए।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(iii) पिछली बैठक में समिति को सूचित किया गया था कि रक्षा लेखा विभाग में नए भर्ती हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गुरुग्राम में 04 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक प्रवेश पाठ्यक्रम (Induction Course) का आयोजन किया जाएगा।

समिति को अवगत कराया गया कि नए भर्ती हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया गया है, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उपयोगी पाया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना की।

(iv) पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि राजभाषा हिंदी के पत्राचार को बढ़ाने के लिए कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग द्वारा अपने मानक प्रोफार्मों को द्विभाषी रूप में तैयार किया जाए और दैनिक पत्राचार में उनका प्रयोग किया जाए।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि इस संबंध में सभी अनुभागों को पत्र जारी कर दिया गया था। स्थानीय अनुभागों के जनवरी 2024 में प्रस्तावित राजभाषा निरीक्षण के दौरान तत्संबंधी अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई और निर्देश दिया कि अगली बैठक के दौरान इसकी अद्यतन स्थिति दर्शाई जाए। साथ ही, संसदीय समिति के राजभाषा संबंधी निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए मानक मसौदों की एक सैंपल बुकलेट अगली बैठक में प्रदर्शित की जाए।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय) एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(v) पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता समेत अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में अनुवाद अधिकारियों की शीघ्र तैनाती की जाए। जहाँ तक संभव हो, संबंधित स्टेशन पर जिस कार्यालय में अधिक अनुवाद अधिकारी पदस्थ हैं, उन्हें उस कार्यालय से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात किया जाए।

समिति को इस संबंध में अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता, बेंगलुरू और मेरठ में अनुवाद अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(vi) पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि यदि संभव हो तो निरीक्षण कक्ष(स्थानीय) के दौरा कार्यक्रम के साथ ही राजभाषा निरीक्षण भी किए जाएं।

समिति को इस संबंध में अवगत कराया गया कि निरीक्षण कक्ष (स्थानीय) का निरीक्षण कार्यक्रम राजभाषा अनुभाग के अनुमोदित निरीक्षण कार्यक्रम से मेल नहीं खाता है। अतः राजभाषा अनुभाग द्वारा निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही निरीक्षण किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई।

(vii) पिछले बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि राजभाषा संवर्ग के समाप्त किए गए पदों (deemed abolished posts) के पुनरुद्धार (revival) के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए और जिन पदों का पुनरुद्धार हो गया है, उन पर प्रोन्नति की प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी की जाए।

इस संबंध में प्रशासन-2 अनुभाग (स्थानीय) के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के 06 revived पदों तथा पिछले वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति कोटा के अंतर्गत 2 रिक्तियों (प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण) को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 08 है जिसे भरने हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्त मंत्रालय के साथ हुई वार्ता में यह निर्देश हुआ था कि सभी रिक्त पदों को भरने के पश्चात ही शेष 'समाप्त किए गए पदों' (deemed abolished) के पुनरुद्धार (revival) पर विचार किया जाएगा। अतः सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात ही बाकी 23 पदों के पुनरुद्धार (revival) का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर शीघ्र कार्रवाई हेतु निदेश दिए।

[कार्रवाई : प्रशासन-II, प्रशासन-VIII अनुभाग(स्थानीय)]

मद सं. 3: <u>जून, 2023 तथा सितम्बर, 2023 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा:</u>

सदस्य सचिव ने जून, 2023 तथा सितम्बर, 2023 की तिमाहियों के हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों के आंकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि यद्यपि इस मुख्यालय के 'ग' क्षेत्र के हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, तथापि इसमें और बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिएं। साथ ही, 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के हिन्दी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जाएं।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

मद सं. 4 : <u>रक्षा लेखा विभाग में हिन्दी पदों की स्थिति</u>:

सदस्य सचिव द्वारा विभाग में हिन्दी संवर्गीय पदों की निम्नलिखित वर्तमान स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई:

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
सहायक निदेशक(राजभाषा)	37	06	31

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	35	30	05
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	70	70	00

समिति को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के 06 revived पदों तथा पिछले वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति कोटा के अंतर्गत 2 रिक्तियों (प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण) को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 08 है जिसे भरने हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्त मंत्रालय के साथ हुई वार्ता में यह निर्देश हुआ था कि सभी रिक्त पदों को भरने के पश्चात ही शेष 'समाप्त किए गए पदों' (deemed abolished) के पुनरुद्धार (revival) पर विचार किया जाएगा। अतः सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात ही बाकी 23 पदों के पुनरुद्धार (revival) का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के 05 रिक्त पदों पर प्रोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के बाद शेष "deemed abolished" पदों के revival हेतु उचित एवं शीघ्र कार्रवाई की जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-II/VIII अनुभाग (स्थानीय)]

मद सं 5 : <u>राजभाषा संबंधी निरीक्षण</u>

(क) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण :

समिति को अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस तिमाही में विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को किया गया। इन कार्यालयों से संबंधित आश्वासन और 'ध्यान देने योग्य बातें' अभी संसदीय राजभाषा समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय(वेतन), उधमपुर	27.09.2023
2.	स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी(वायु सेना), जल्लाहली वेस्ट, बेंगलुरु	21.10.2023
3.	कार्यालय, लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता, गंगटोक	29.11.2023

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण:

समिति को अवगत कराया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रत्येक विभाग/संगठन के कम से कम 25% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना है। इसके अनुपालन में इस वर्ष सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मुख्यालय द्वारा 11 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। अब तक 06 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जा चुका है एवं तत्संबंधी निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित कार्यालयों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। शेष कार्यालयों का निरीक्षण आगामी तिमाही में किया जाएगा।

(ग) स्थानीय अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण :

समिति को अवगत कराया गया कि मुख्यालय कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 02 जनवरी, 2024 से 29 जनवरी, 2024 तक सभी स्थानीय अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया जाएगा। सभी अनुभागों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि जनवरी माह में प्रस्तावित स्थानीय अनुभागों के राजभाषा निरीक्षण को संसदीय राजभाषा समिति के संभावित निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

मद संख्या : 6 **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>:**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न मदों पर चर्चा हुई:-

(क) व्यक्तिशः आदेश -

बैठक के दौरान व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाने पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पिछले व्यक्तिशः आदेश वर्ष 2023 में जारी किए गए थे। इस पर निर्णय लिया गया कि नए कार्यालय प्रमुख के आदेश से पुनः व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग(स्थानीय)]

(ख) एम.एस. ऑपरेटिंग सिस्टम का माया ऑपरेटिंग सिस्टम में अद्यतन –

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (आईटी) ने बैठक के दौरान समिति को अवगत कराया कि कार्यालय के कंप्यूटरों में एम.एस. ऑपरेटिंग का माया ऑपरेटिंग सिस्टम में अद्यतन किया जा रहा है, परन्तु इसके कारण कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने में अनेक कठिनाईयों का अनुभव हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय एवं सी.आई.आर.ए.(CIRA) के साथ उठाया जाए और इन कठिनाईयों का हल निकाला जाए।

[कार्रवाई :सू.प्रौ. एवं प्र. एवं राजभाषा अनुभाग(स्थानीय)]

(ग) सभी कोड, मैनुअल इत्यादि का द्विभाषीकरण –

अध्यक्ष महोदय ने कोड/मैनुअल के द्विभाषीकरण की अद्यतन स्थिति के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि कोड/मैनुअल का अपडेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात, कोड/मैनुअल को अनुवाद हेतु केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजा जाएगा।

इस परिप्रेक्ष्य में, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए कि कोड/मैनुअल के अपडेशन के पश्चात अनुवाद हेतु रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सेना) लखनऊ, रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना, रक्षा लेखा नियंत्रक(सेना) मेरठ, रक्षा लेखा नियंत्रक (पें.सं.), मेरठ और रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ कार्यालयों को भेजा जाए। तत्पश्चात, अनुवाद का मसौदा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए ताकि कोड/मैनुअल के द्विभाषीकरण का कार्य यथाशीघ्र संपन्न किया जा सके। सर्वप्रथम कार्यालय नियम-पुस्तिका भाग-। का अनुवाद किया जाए।

[कार्रवाई : संबंधित कार्यालय, प्रशा.-3 एवं लेखापरीक्षा-6 अनुभाग(स्थानीय)]

पंकज

(पंकज कुमार)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा)